न्यायालय,समाहर्त्ता,अररिया

अधिहरण वाद संख्या-149/2017-2018
अंदर धारा-58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

सरकार

बनाम

(1) श्री गोलू कुमार तिवारी, पे0-सत्य नारायण तिवारी
सा0-पोसदाहा, वार्ड नं0-06, थाना-नरपतगंज,
जिला-अररिया..विपक्षी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
25.05.2019	इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 162/हि0शा0, दिनांक 12.01.2018) के आलोक में नरपतगंज थाना कांड संख्या-485/17, दिनांक 23.10.2017 धारा-272/273 भा0द0वि0 एवं 30(क) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 में जब्त अपाची मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन संख्या-BR-38J-7435, ईंजन संख्या-OE4EG2979144, चेसिस संख्या-MD634KE46G2E32420 को राजसात करने हेतु प्रारम्भ की गई। नरपतगंज थाना कांड संख्या-485/17, दिनांक 23.10.2017 के प्राथमिकी नामजद अभियुक्त श्री गोलू कुमार तिवारी, पे0-सत्य नारायण तिवारी, सा0-पोसदाहा, वार्ड नं0-06, थाना-नरपतगंज, जिला-अररिया के विरुद्ध कारण-पृच्छा जवाब दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत किया गया। (2) दैनिक प्रभात खबर समाचार पत्र में दिनांक 24.02.2019 के माध्यम से सूचना प्रकाशन के बावजूद विपक्षी की ओर से आज तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। विपक्षी लगातार सभी निर्धारित तिथियों में अनुपस्थित है। स्पष्ट है कि विपक्षी को इस वाद में कोई रूचि नहीं है। फलस्वरूप विपक्षी की अनुपस्थिति में सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम,अररिया श्री रामानंद मंडल को सुना। (3) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया का मुख्य कथन है कि दिनांक 23.10.2017 को सहायक अवर निरीक्षक, नरपतगंज थाना सशस्त्र बल के सिपाही-406 संजय कुमार यादव, सिपाही 329 अजीत कुमार, सिपाही-321 सुरेन्द्र सिंह, सिपाही-172 रवीन्द्र तथा पुलिस वाहन के साथ संध्या गश्ती हेतु थाना से प्रस्थान किया। संध्या गश्ती के कम में उन्हें गुप्त सूचना मिली की एन.एच.-57 थलहा नहर के पास एक आदमी मोटर साईकिल से नेपाली शराब लेकर आ रहा है, के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सशस्त्र बल एवं पुलिस वाहन के साथ सहायक अवर निरीक्षक, नरपतगंज थलहा नहर पर जैसे ही 17.15 बजे पहुँचा तो देखा कि विपक्षी एन.एच.-57 पर आ रहा हैं। सशस्त्र बल को देखकर विपक्षी भागने का प्रयास करने लगे। विपक्षी को सशस्त्र बल के सहयोग से लाल एवं काला रंग के अपाची मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन संख्या-BR-38J-7435, ईंजन संख्या-OE4EG2979144 एवं चेचिस संख्या-MD634KE46G -2E32420 के साथ पकड़ा गया। दो स्वतंत्र साक्षी 1. सखीचन्द ऋषिदेव, पिता-रामानन्द ऋषिदेव, पे0-रामानन्द ऋषिदेव, सा0-खैरा कोशकापुर, वार्ड नं0-10, थाना-नरपतगंज, जिला-अररिया 2. राज कुमार पासवान, पे0-रूद्रानन्द पासवान, सा0-पिठौरा, वार्ड नं0-11, थाना-नरपतगंज, जिला-अररिया के समक्ष विपक्षी की तथा	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
25.05.2019	विपक्षी की अपाची मोटर साईकिल की तलासी ली गई। अपाची मोटर साईकिल के पीछे सीट पर एक बंधा हुआ बोरा के अन्दर कार्टून में देशी नेपाली शराब जिसपर दिलवाले सौफी 70UP,F1/0037600173 300एम.एल. लिखा हुआ प्लास्टिक का 140 (एक सौ चालीस) बोतल कुल-42 लीटर बरामद हुआ। जब्ती सूची बनाकर उक्त शराब एवं मोटर साईकिल को विधिवत् जब्त किया गया। बिना किसी विधिमान्य अनुज्ञप्ति, परमिट अथवा पास के बिना किसी मादक द्रव्य अथवा शराब का विनिर्माण, कब्जा, क्रय, विक्रय, वितरण, संग्रहण, बोतल बंद, आयात, निर्यात, परिवहन करना अथवा दूर हटाना, शराब का उपभोग करना आदि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 के अंतर्गत एक संगीन अपराध है। फलस्वरूप विपक्षी के विरूद्ध नरपतगंज थाना कांड संख्या-485/17, दिनांक 23.10.2017, धारा-272/273 भा0द0वि0 एवं 30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 दर्ज किया गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक का आगे कहना है कि विपक्षी द्वारा अवैध शराब का जब्त मोटर साईकिल से परिवहन कर बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 का उल्लंघन किया गया है। उनकी प्रार्थना है कि जब्त मोटर साईकिल राजसात होने योग्य है। जब्त मोटर साईकिल को राजसात किया जाय। (4) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया के कथनों एवं तर्को तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन और संलग्न कागजातों के परिशीलन से अधोहस्ताक्षरी को यह समाधान हो गया है कि विपक्षी द्वारा जब्त मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन संख्या-BR-38J-7435 का अवैध शराब को ढ़ोने में प्रयुक्त किया गया है। जब्त मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन संख्या-BR-38J-7435 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन)अधिनियम, 2018 की धारा-56(ख) के अंतर्गत राजसात होने योग्य है। तद्नुसार नरपतगंज थाना कांड संख्या-485/17, दिनांक 23.10.2017 में जब्त अपाची मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन संख्या-BR-38J-7435, ईजन संख्या-OE4EG2979144, चेसिस संख्या-MD634KE-46G2E32420 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58(2) के अंतर्गत राजसात किया जाता है। उक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित समाहर्त्ता, अररिया समाहर्त्ता, अररिया ज्ञापांक 1058 विधि, अररिया, दिनांक 31.5.2019 प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया/अधीक्षक, उत्पाद, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। समाहर्त्ता, अररिया 25.5.2019	

जिला दंडाधिकारी न्यायालय, अररिया (बिहार)